संख्या- 691/61-2023

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग लखनऊ : दिनॉक 21 फरवरी, 2024

विषयः- निर्वाचन सम्बन्धी ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों को पारिश्रमिक तथा टी0ए0/ डी0ए0 का भुगतान कराये जाने सम्बन्धी निर्गत शासनादेश दिनांक 25-10-2023 में आंशिक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-464/INST/EPS/2023/Remuneration & TA/DA दिनाँक 06.06.2023 के क्रम में निर्वाचन अनुभाग के शासनादेश संख्या-492/61-2023, दिनांक 25.10.2023 के द्वारा निर्वाचन सम्बन्धी ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों को पारिश्रमिक तथा टी0ए0/ डी0ए0 के भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश निर्गत किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग ने अपने पत्र दिनॉक 17.11.2023 के द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये हैं:-

"I am directed to refer to the Commission's instruction issued wide letter of even number dated 6th June, 2023 on the subject and to state that the sub-para (b) under para E. Expenditure may be read as follows:-

"(iv) Payment of TA/DA shall be initially paid by the parent/election department, as the case may be, of the polling/police personal and other personal deployed for election related duties and shall be borne as per above mentioned manner."

2. The above instruction shall be brought to the notice of all concerned immediately for compliance.

3- उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 06.06.2023 के बिन्दु E-Expenditure के उपबिन्दु (b) में यह उल्लिखित है "Payment of TA/DA shall be borne by the parent department of the polling/police personnel and other personnel deployed for election related duties."

आयोग के उक्त निर्देश के कम में निर्वाचन अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- 492/61-2023, दिनांक 25.10.2023 के बिन्दु D-व्यय के उपबिन्दु (b) में यह उल्लिखित है कि "मतदान/पुलिस कार्मिकों और अन्य कार्मिकों जिन्हें निर्वाचन सम्बन्धी कार्य के लिए तैनात किया गया है के टी0ए0/ डी0ए0 का भुगतान उनके मूल विभाग द्वारा किया जायेगा।"

4- अतः भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-464/INST/EPS/2023/Remuneration & TA/DA दिनांक 06-06-2023 के बिन्दु E-expenditure के उपबिन्दु (b) के अनुक्रम में निर्वाचन अनुभाग द्वारा

....2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

निर्गत शासनादेश संख्या-492/61-2023, दिनांक 25.10.2023 के बिन्दु D- व्यय के उपबिन्दु (b) को आयोग के पत्र संख्या-464/INST/EPS/2023/Remuneration & TA/DA दिनाँक 17.11.2023 में दिये गये निर्देश के क्रम में निम्नवत पढ़ा जायः-

(IV) मतदान/पुलिस कार्मिकों और अन्य कार्मिकों जिन्हें निर्वाचन सम्बन्धी कार्य के लिए तैनात किया गया है, के टी0ए0/डी0ए0 का प्रारम्भ में भुगतान उनके मूल विभाग/ निर्वाचन विभाग द्वारा जैसा भी मामला हो, किया जायेगा और उसका वहन उपरोक्त उल्लिखित तरीके से किया जाएगा।

5- उपर्युक्त संशोधन के फलस्वरूप निर्वाचन अनुभाग उ०प्र० शासन का शासनादेश संख्या-492/61-2023, दिनांक 25-10-2023 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश दिनांक 25-10-2023 में उल्लिखित शेष शर्तें/निर्देश यथावत रहेगें।

6- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12 के अशासकीय संख्या: E-12-521-X-2023-24, दिनांक:16-02-2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(चन्द्रशेखर)
विशेष सचिव।

संख्या-691(1)/61-2023, तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।

3- समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उ०प्र० शासन।

4- समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र० ।

5- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

6- समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7- संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।

8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12, उ०प्र० शासन।

9- समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे शासनादेश की एक-एक प्रति जिले में स्थित केन्द्र/राज्य सरकार एवं अर्द्धसरकारी संस्थाओं के कार्यालय जहां के कर्मचारियों को मतदान/मतगणना कार्य में लगाया जाना है, को उपलब्ध करा दें।

10- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(चन्द्रशेखर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in